बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

विषय : बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यभार स्वीकृति के संबंध में।

प्रशासनिक व्यवस्था

(1) बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का सही मूल्य दिलाना, Vegetable supply chain को प्रभावी बनाना, post harvest losses को कम करना, उपभोक्ताओं को अत्यधिक मूल्य से राहत दिलाना एवं सब्जी क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करना है।

(2) राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है तथा सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 8529 दिनांक 1.11.2017 द्वारा संकल्प निर्गत हो चुका है।

(3) राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार इस योजना की संस्थागत व्यवस्था त्रिस्तरीय है।

(क) प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन होना है। राज्य में पायलट बेसिस पर चयनित पाँच जिलों में अबतक 91 प्रखंड स्तरीय सब्जी समितियों का निबंधन हो चुका है। प्रखंड स्तरीय सब्जी समितियों के सदस्य सब्जी उत्पादक किसान होंगे। प्राथमिक समितियाँ अपने सदस्यों से सब्जी प्राप्त कर सब्जी संग्रहण, sorting, grading, विपणन तथा सहकारी संघ को सब्जी आपूर्ति करने का काम करेगी। इस कार्य हेतु प्रखंड की सब्जी समितियों के क्षेत्र में संग्रहण केन्द्र, मिनी कोल्ड स्टोरेज, sorting, grading शेड, सब्जी वाहन के लिए lifting प्लेटफार्म इत्यादि का निर्माण किया जाना है।

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ का केन्द्रीय समिति के रूप में पायलट बेसिस पर गठन का प्रावधान है। राज्य के पाँच जिलों यथा पटना, नालंदा, वैशाली, बेगुसराय एवं समस्तीपुर जिलों को मिलाकर पायलट बेसिस पर एक सब्जी उत्पादक संघ का गठन किया जा चुका है, जिसका मुख्यालय पटना में है। सब्जी संघ पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था की धुरी के रूप में कार्य करेगा। संघ, प्राथमिक सब्जी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन व्यवस्था का कार्य करेगा। संघ को सभी अधिसंरचना एवं आवश्यक तकनीकी व्यवस्था से सुदृढ़ बनाया जाएगा। संघ अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी संख्या में विकेन्द्रीकृत विपणन हेतु सब्जी बिक्री केन्द्र स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन के सहयोग से स्थापित करेगा। सहकारी संघ प्राथमिक समितियों को आवश्यक तकनीकी, संस्थागत, कृषि उपादान एवं साख सेंवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

(ग) पायलट बेसिस पर संघ के सफल शुरुआत के बाद अन्य जिलों के अन्य समूहों में चरणबद्ध रुप से योजना का विस्तार किया जाएगा।

(घ) राज्य स्तर पर एक सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किय जाएगा। गठन प्रक्रियाधीन है। फेडरेशन का मुख्य कार्य सम्पूर्ण व्यवस्था को पेशेवर नेतृत्व प्रदान करना, सब्जी संघो के बीच व्यावसायिक समन्वय स्थापित करना सभी तरह के forward एवं Backward Linkages का Integration सुनिश्चित करना, राज्य के अन्दर, राज्य के बाहर एवं देश के बाहर विपणन की व्यवस्था कराना, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की व्यवस्था कराना, बाह्य परिवेश (external environment) का प्रबन्धन आदि है।

(4) उपर्युक्त वर्णित त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन को सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के माध्यम से Integrate किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(5) प्रशासनिक व्यवस्था एवं राज्य सरकार की भूमिका

(क) स्थापना व्यय

(i) प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों सब्जी प्रसंस्करण एंव विपणन सहकारी संघ एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना व्यय तथा क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु 03 वर्ष के लिए 100% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। (मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) ग)

(ii) Special Purpose Vehicle के संचालन एवं स्थापना व्यय (वेतनादि सहित) हेतु वित्तीय सहायता 100% सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी (मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) ख)

(iii) बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना एक पूर्णतः नई व्यवस्था है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण स्वरुप देने के लिए 3 चरणों में व्यवस्था प्रस्तावित है।

(क) तात्कालीक व्यवस्था
(ख) अल्पकालीन व्यवस्था
(ग) नियमित व्यवस्था

(क) तात्कालिक व्यवस्था :–

तात्कालिक व्यवस्था के द्वारा अल्पकालीन व्यवस्था एवं नियमित व्यवस्था की संरचना तैयार करके उसे पूर्ण स्वरुप दिया जाएगा। तात्कालिक व्यवस्था के पदाधिकारी व्यवसाय प्रारंभ कराने तथा सेवा नियमावली का निर्माण करेंगे और सभी वैद्यानिक व्यवस्था करेंगे। उसके बाद यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

→ फेडरेशन स्तर पर तात्कालिक व्यवस्था –

क्रम	पदनाम	संख्या	अभ्युक्ति
i	प्रबंध निदेशक	01	15 वर्षो के अनुभवी Agri Business Management योग्यता प्राप्त पदाधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा बिहार विकास मिशन से नियुक्त पदाधिकारी
ii	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ –सह– उप प्रबंध निदेशक	01	MBA डिग्री प्राप्त राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
iii	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	02	सब्जी विषयक प्रशिक्षण प्राप्त सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
iv	सहायक	02	सरकार से प्रतिनियुक्त
v	अनुसेवक	02	सरकार से प्रतिनियुक्त
	कुल योग :	08	सभी सरकारी प्रतिनियुक्ति से

→ संघ स्तर पर तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्था –

क्रम	पदनाम	संख्या	अभ्युक्ति
i	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	01	अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी जिसे 10 वर्षो का Agri में अनुभव तथा Business Management योग्यता (सम्प्रति संयुक्त निबंधक, स.स., पटना प्रमंडल को प्रभार है)
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– उप मुख्य कार्यपालक	05	संबंधित पाँचों जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी (सम्प्रति पाँच जिलों के जिला सहकारिता

Scanned with OKEN Scanner

	पदाधिकारी		पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जा चुका है)
iii	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	03	सहकारिता विभाग से
iv	सहायक	02	सहकारिता विभाग से
v	अनुसेवक	02	सहकारिता विभाग से
	कुल योग :	**13**	**सभी सरकार से प्रतिनियुक्त**

नोट :– इसके अतिरिक्त फेडरेशन और संघ के लिए कम से कम 07 कमरों (दोनों अध्यक्ष + प्रबंध निदेशक + मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी + उप प्रबंध निदेशक + कार्यालय स्टॉफ के लिए) का पूर्ण सुविधायुक्त कार्यालय और उपस्कर। फेडरेशन के लिए 03 तथा संघ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 02 (कुल 05) भाड़े के वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) अल्पकालीन व्यवस्था :–

→ इस व्यवस्था के तहत मूलतः तकनीकी दक्ष विशेषज्ञ एवं एजेंसी की अल्पकालीन नियुक्ति होनी है। इनका कार्य इस योजना को तब तक व्यवसायिक स्वरुप देने का होगा, जब तक पूर्ण व्यवसायिक व्यवस्था चालू नहीं होगी। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्णय/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित एजेंसी ने इसके लिए Special Purpose Vehicle (SPV) और Project Management Unit (PMU) की परिकल्पना की है।

(i) Special Purpose Vehicle (SPV) :– मंत्रिपरिषद संलेख की योजना के रणनीति एवं रोड मैप शीर्ष अन्तर्गत (कंडिका 4.6) में जिक्र है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए Special Purpose Vehicle (SPV) का गठन होगा। जिसमें क्षेत्र विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होगा तथा जो प्रारंभिक दौर में योजना को आवश्यक मार्गदर्शन देगा। योजना की कंडिका 10 में माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी का गठन किया गया है। एजेन्सी में वित्त विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग योजना एवं विकास विभाग इत्यादि के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी नामित है। उक्त प्राधिकार को सर्वप्रथम Special Purpose Vehicle के गठन हेतु नियमावली एवं प्रक्रिया निर्धारित करना है। उक्त कमिटी को ही Special Purpose Vehicle हेतु पदो की संख्या, वेतनादि का निर्धारण करना है। Special Purpose Vehicle में एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे और न्यूनतम 06 पेशेवर क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। यह प्राधिकार Special Purpose Vehicle के कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु सक्षम होगा।

(ii) माननीय मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय एजेंसी द्वारा दिनांक 12.12.2017 को कार्यावली संख्या–2 में लिए गए निर्णय के अनुसार SPV में संबधित क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे, जो फिलहाल राज्य स्तरीय फेडरेशन के बदले काम करेंगे। इनकी कार्यावधि तीन वर्षों की होगी तथा इस अवधि में यह योजना को वांछनीय दिशा देगी। इसमें आठ क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे, जो निम्नांकित होंगे :–

(i) Vegetable Processing Specialist (ii) Cold Chain Specialist (iii) Value Chain Specialist (iv) Marketing Specialist (v) Finance Manager (vi) Institution Development Specialist (vii) Monitoring & Evaluation Specialist (viii) IT Specialist

एजेंसी द्वारा उपरोक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निर्धारित कर दिए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इन पदों के लिए सेवा निवृत विशेषज्ञों यथा अमूल, NDDB, सफल इत्यादि के सेवा निवृत वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। मानदेय का भुगतान पेंशन की राशि को घटाकर किया जाएगा। उपरोक्त के अनुपलब्धता की स्थिति में निर्धारित अहर्त्ता तथा मानक

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रियाओं का पालन करते हुए Fresh Recritment किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इनका मानदेय 75,000/– प्रतिमाह होगा। एजेंसी के अनुमोदन से राशि का संशोधन किया जा सकेगा। **(परिशिष्ट – 1)**

(iii) <u>Project Management Unit (PMU) को Hire करना</u>

→ माननीय मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय एजेंसी की बैठक दिनांक 12.12.2017 की कार्यावली संख्या–3 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधान सचिव द्वारा Project Management Unit (PMU) को भी Hire करने की आवश्यकता बताई गई। PMU में (i) Team Leader (ii) Operations & Support Chain Expert (iii) Food Agri Sector Specialist (iv) Civil Engineering Expert (v) IT Specialist एवं (vi) Technical Support Staff की व्यवस्था की गई। सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी निर्धारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 01 से 05 तक को खुली निविदा तथा Competitive Bidding के आधार पर recruit किया जाए। उपरोक्त विशेषज्ञ निविदा की प्रक्रिया में सफल Consultancy Organization के सदस्य होंगे। क्रम संख्या 6 के बारे में निर्णय लिया गया कि बागवानी विषय के 10 युवा स्नातकों को इस हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिया जाए।

→ समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करके एक Project Management Unit (PMU) का चयन कर लिया गया है। इस पर होने वाले वित्तीय भार का 100% वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) <u>नियमित व्यवस्था</u>

(i) <u>राज्य स्तरीय फेडरेशन के लिए प्रबंध निदेशक एवं अन्य</u> :–

→ दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान, पटना द्वारा समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के चैप्टर–iv के पृष्ठ 114–115 के Table no-2 पर वेतन भोगी कर्मियों की आवश्यकता का उल्लेख है। इसमें (i) एक वरीय सरकारी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था है। प्रबंध निदेशक के लिए 15 वर्ष के अनुभव प्राप्त Agriculture Business Management की शैक्षणिक योग्यता के पदाधिकारी की व्यवस्था है। विदित है कि कम्फेड में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रबंध निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की जाती है।

→ प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में (ii) State manager (inputs, Extn CD & Trg) (iii) State manager (purchase) (iv) State Manager (Marketing) (v) State Manager (Production) (vi) State Manager (HR & Admin) (vii) State Manager (Finance & Accounts) (viii) State Manager (IT, MIS, Monitoring & Evaluation) (ix) 12 Support Staff (Junior Level, Managerial, Personnel, Technical Assistants, IT Associates, Accordingly having relevant qualifications & experiences. (Total 20)

→ उपर्युक्त सभी पदों के लिए योग्यता, अनुभव और कार्य जिम्मेवारी का उल्लेख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के पृष्ठ 115 से 126 पर किया गया है। **(परिशिष्ट – 2)**

→ उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि राज्य स्तरीय फेडरेशन में एक प्रबंध निदेशक, 07 क्षेत्र विशेषज्ञ और 12 Support Staff (कुल 20) की आवश्यकता है।

(ii) <u>क्षेत्रीय सब्जी संघ के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य</u>

→ दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के द्वारा निर्मित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल चार क्षेत्रीय सब्जी संघ की परिकल्पना की गई है। इसमें पायलट बेसिस पर पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय का कलस्टर बनाकर पहला क्षेत्रीय सब्जी संघ का गठन और निबंधन कर लिया गया है। **(परिशिष्ट – 3)**

Scanned with OKEN Scanner

→ दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना द्वारा समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के चैप्टर (iv) के पृष्ठ 98 पर क्षेत्रीय सब्जी संघ के वेतनभोगी कर्मियो की आवश्यकता का निर्धारण है। इनमें (i) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का जिक्र है जो वरीय सरकारी पदाधिकारी होंगे जिन्हें Argi Business Management की योग्यता और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वर्त्तमान में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 8552 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हरित सब्जी एवं विपणन सहकारी संघ घोषित किया गया है। अन्य क्षेत्रीय सब्जी संघ का गठन होने पर सभी क्षेत्रीय संघो में अलग–अलग पदबल की आवश्यकता होगी। मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्रीय संघ में (ii) District Manager (Inputs; Extn CD& Trg.) (iii) District Manager (Purchase) (iv) District Manager (Marketing) (v) District Manager (Plant) (vi) District Manager (HR & Admin) (vii) District Manager (Finance & Accounts) (viii) District Manager (Monitoring), Evaluation IT & MIS (ix) Support Staff-12, Marketing Executives, Technical Assistants, IT Associates, Accountants, office Assistants and Field Staff for Concerned Sections havy relevant qualifications & experiences.

→ उपर्युक्त वर्णित सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य जिम्मेवारी का भी निर्धारण किया गया है जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के पृष्ठ 98 से 114 पर रक्षित है। **(परिशिष्ठ – 4)**

→ उपर्युक्त वर्णित के अनुसार एक क्षेत्रीय संघ में कुल 20 पदाधिकारी और कर्मी की परिकल्पना है। इस प्रकार 4 क्षेत्रीय संघो के लिए आवश्यक पदबल संख्या 20 X 4=80 होगी।

(iii) <u>प्रखंड स्तरीय सब्जी सहकारी समिति के लिए प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं अन्य</u> :–

→ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के पृष्ठ 96 पर प्रत्येक प्रखंड स्तरीय सब्जी समिति के लिए (i) एक प्रबंधक (ii) दो सहायक प्रबंधक और (iii) आवश्यकतानुसार 2 से 4 तक कृषि समन्वयक की नियुक्ति की व्यवस्था है। प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को मासिक वेतन पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जबकि कृषि समन्वयक को मासिक सेवा चार्जेस मिलेंगे जो उनके कार्य की उपलब्धि पर आधारित होगा। वर्त्तमान में 91 प्राथमिक सब्जी सहयोग समिति का निबंधन हो चुका है। इस प्रकार 91 प्रबंधक एवं 91 X 2 = 182 सहायक प्रबंधक की आवश्यकता होगी।

(iv) <u>स्थापना से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान</u> :–

→ त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में प्रखंड स्तरीय सब्जी सहकारी समिति, क्षेत्रीय सब्जी संघ और राज्य स्तरीय सब्जी फेडरेशन का निबन्धन बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 के तहत् किया जा रहा है। अतः त्रिस्तरीय सहकारी समितियों में बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू होंगे।

→ *बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 66 (ख) में सहकारी समितियों की कार्मिक नीति का विवरण निम्नांकित है :–*

"सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों में उल्लिखत प्रावधानों के अनुसार समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरुप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्त्ती रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। इस प्रयोजनार्थ सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी।

→ *सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के अधीन रहते हुए अन्य के बीच निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी :–*

(क) पात्रता, आयु और अनुभव

Scanned with OKEN Scanner

3/

(ख) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ

(ग) भर्त्ती की रीति

(घ) सेवा की शर्त्तें और

(ड़) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया

→ *उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का अतिलंघन में की गई नियुक्ति शून्य समझी जाएगी, माने ऐसी नियुक्ति कभी विद्यमान नहीं थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रुप में किए गए भुगतान की राशि, यदि कोई हो, धारा–40 के अधीन वसूलनीय होगी।"*

(6) उपर्युक्त वर्णित के आलोक में तात्कालिक व्यवस्था के तहत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने तथा अल्पकालीन एवं नियमित व्यवस्था के तहत नियुक्ति के पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है। योजना के पूर्णतः अस्तित्व में आने के बाद फेडरेशन के नेतृत्व में बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 66 B के तहत सेवा नियमावली तैयार करके नियुक्तियाँ की जा सकेंगी।

वित्तीय व्यवस्था

(7) मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) के अनुसार वित्तीय व्यवस्था निम्नांकित है :–

(क) राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के अंतर्गत आधारभूत संरचना की स्थापना तथा कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) उपर्युक्त खंड (क) के अतिरिक्त Special Purpose Vehicle के संचालन एवं स्थापना व्यय (वेतनादि सहित) हेतु वित्तीय सहायता 100% सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना व्यय तथा क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु 03 वर्ष के लिए 100% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त वर्णित तीनों स्तर की सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के विकास एवं अन्य मदों के लिए सब्जी प्रसंस्करण एवं विपपणन योजना प्राधिकार द्वारा यथानिर्णित राज्य योजना अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना (RKVY) अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) अथवा ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) से अथवा अन्य उपलब्ध स्रोत से उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(ड़) Special purpose vehicle भारत सरकार की सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध योजनाओं यथा, Mission for Integrated Development of Horticulture, The Vegetable Initiatives for Urban Clusters आदि से Back ended अनुदान प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। उक्त आलोक में समितियों को प्राप्त अनुदान का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण की वापसी के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा।

(8) राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत दो चरणों में लगभग 1750 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

(राशि लाख रु. में)

Sl. No.	Head	Phase I	Phase II	Total
1	Land (50 acre @ 10 lakhs/kattha) for one centralized unit	11770.00	35310.00	47080.00
2	Civil Construction	1752.60	5257.00	7010.40
3	Plant & Machines & Other Fixed assets	5155.38	15466.14	20621.52

Scanned with OKEN Scanner

4	Baseline survey, Mobilization & ICT enabled services Cost	660.00	1980.00	2640.00
5	Advertisement/Branding Cost	50.00	150.00	200.00
6	Electrical fitting (Inclusive of security Deposit of BSEB)	12.00	360.00	480.00
7	PVCS Set Up Cost (No. 80)	1648.00	4944.00	6592.00
8	Rural market set up cost (No. 80)	2000.00	6000.00	8000.00
9	Retail outlet set up cost	2250.00	6750.00	9000.00
10	Preliminary & Pre Operative Exp.	100.00	300.00	400.00
11	Contingency @ 10%	598.54	1795.62	2394.16
12	Working Capital	10301.38	30904.14	41205.52
13	Operative expenses	7347.84	22043.52	29391.36
Total		**43753.74**	**131261.22**	**175014.96**
Assumptions		**In Second Phase there is Investment in New Plants, Machineries and Equipments.**		

(9) वित्तीय सहायता का स्वरुप :–

→ **PVCS हेतु हिस्सा पूंजी/ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था** :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड स्तरीय समितियों को 20 लाख 60 हजार रुपये अधिसंरचना स्थापित करने हेतु दिए जाने है। जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज सहित/ब्याज रहित) एवं अनुदान दिया जाना है।

→ **क्षेत्रीय संघ हेतु राशि की व्यवस्था** :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत गठित क्षेत्रीय संघ को भी राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज सहित/ब्याज रहित) एवं अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

→ **फेडरेशन हेतु हिस्सा पूंजी/ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था** :– राज्य स्तरीय फेडरेशन (प्रस्तावित) को हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज रहित/ब्याज सहित) एवं अनुदान के रुप में राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

- चूंकि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अभी शैशवा अवस्था में है, अतएव योजनान्तर्गत प्रथम तीन वर्षो में उपरोक्त समिति/संघ/फेडरेशन को अधिसंरचना स्थापित करने हेतु 25% हिस्सा पूंजी तथा 75% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना के तीन वर्ष बीत जाने के बाद उपरोक्त समिति/संघ/फेडरेशन हेतु 25% हिस्सा पूंजी राज्य सरकार की होगी और 25% ऋण (ब्याज रहित/ब्याज सहित) तथा 50% अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) असैनिक (Civil) एवं तकनीकी (Technical) कार्यो का कार्यान्वयन

→ योजना में कई असैनिक (Civil) कार्य कराए जाने हैं। इसके लिए Project Management Unit (PMU) एवं संघ द्वारा अधिकृत असैनिक अभियंता से नक्शा, प्राक्कलन, डिजायन तैयार कराया जायेगा तथा जिले के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिला के अधिकृत सरकारी अभियंता के माध्यम से कार्य (जिला में गोदाम निर्माण योजना की तर्ज पर) निष्पादन कराया जाएगा। जिस समिति में यह Civil कार्य कराया जायेगा, वही उसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

→ योजनान्तर्गत तकनीकी (Technical) कार्यो के संपादन हेतु एजेंसी का निर्धारण संघ द्वारा किया जायेगा। **In first and second phase both, there is Investment in New Plants, Machineries and Equipments.**

Scanned with OKEN Scanner

(11) इस योजना के सफल संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निर्णयों हेतु माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय एजेंसी गठित है, जिसके सदस्य कई संबंधित विभागों के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी हैं।

(12) यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों/कार्यालयों को सूचित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश चौधरी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10615 /पटना, दिनांक 05.12.18

प्रतिलिपि : उप सचिव (ई–गजट), वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज पत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10615 /पटना, दिनांक 05.12.18

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/अध्यक्ष, हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ/संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला बागवानी पदाधिकारी/PMU को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10615 /पटना, दिनांक 05.12.18

प्रतिलिपि : निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10615 /पटना, दिनांक 05.12.18

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली/संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, नई दिल्ली/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं कार्यवाहक सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।